



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-22082024-256550
CG-OR-E-22082024-256550

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3226]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2024/श्रावण 30, 1946

No. 3226]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2024/SHRAVANA 30, 1946

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 14 अगस्त, 2024

का.आ. 3542(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 'ए') द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचना करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	"पूर्वी तट रेलवे के संबलपुर से संबलपुर शहर (8.10 किमी) तक रेल फ्लाई ओवर" का निर्माण	ओडिशा

[फा. सं. पूतरे/नि/भुवनेश्वर/एलए/ संबलपुर-संबलपुर सिटी फ्लाईओवर(8.10km)]

सुधीर कुमार परिदा, मुख्य अभियन्ता, (निर्माण-III)

MINISTRY OF RAILWAYS
[(East Coast Railway (Construction))]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 14th August, 2024

S.O. 3542(E).—In exercise of the powers, conferred by Clause (37A) of Section-2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project as mentioned in column (2) of the table below in the State mentioned in column (3) of the Table, with effect from the date of publication of this notification in Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Name of the Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1	Construction of “Rail Fly over from Sambalpur to Sambalpur City (8.10 Km)” of East Coast Railway.	Odisha

[F. No. ECoR/Con/BBS/LA/SBP-SBPY/ FLY OVER(8.10km)]

SUDHIR KUMAR PARIDA, Chief Engineer (Construction-III)